संख्या– 90 –प0आ0/2003/-276 पर्य0/2003

प्रेषक,

आनन्द बर्धन,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

निदेशक पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभागः

देहरादून दिनांक 5 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2004

विषयः बस पार्किंग स्थल हनुमानचट्टी (रानाचट्टी) एंव जानकीचट्टी (असनौरगाड़) हेतु वित्तीय वर्ष 2003–2004 में धनावंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–295/2–6–248/2003 दिनांक 8 अक्टूबर, 2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय बस पार्किंग स्थल हनुमानचट्टी (रानाचट्टी) एंव जानकीचट्टी (असनौरगाड़) के पुनरीक्षित आगणन रू0 105.17 लाख के आगणनों के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रू0 99.77 लाख के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त के विपरीत राज्यांश के रूप में रू0 41.37 लाख (रूपये इकतालीस लाख सैतीस हजार मात्र) की धनराशि को आहरित कर व्यय करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है :–

(धनराशि लाख रूपये में)

कम सं0	योजना का नाम	आगणन की राशि	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत आगणन की लागत	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1–	बस स्टेशन /पार्किंग स्थल हनुमानचट्टी (रानाचट्टी)	52.31	50.24	22.42
2–	बस स्टेशन /पार्किंग स्थल जानकीचट्टी (असनौरगाड़)	52.86	49.53	18.95
	कुल योग	105.17	99.77	41.37

(रू0 इकतालीस लाख सैतीस हजार मात्र)

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय, करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

कमशः–

3- कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण कर स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत आगणन/मानचित्र तैयार कर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय, बिना प्राविधानिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4- समस्त कार्य लोक निर्माण विााग की स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप किया जाय।

5- व्यय उन्हीं मदों पर यिका जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरांत कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने के उपरांत ही आगाती किश्त स्वीकृत की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31-3-2004 तक पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में उक्त तिथि तक अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी। कार्य की समयबद्धता हेतु निर्माण एजेन्सी से अनुबन्ध कर विभाग पैनाल्टी क्लॉज लगायी जाय।

7- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

8- उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-04 के अनुदान संख्या- 26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-आयोजनागत-104-सम्वर्द्धन तथा प्रचार-01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-02-पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं का निर्माण-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

8- आगणन में जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा संख्या-2435 /वि0अनु0-3/2004 दिनॉक 16 जनवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द वर्धन)
अपर सचिव।

पृ0प0सं0- प0अ0/2002-276 पर्य/2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5- जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
6- श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त , उत्तरांचल शासन।
7- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम, ऋषिकेश।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
9- वित्त अनुभाग-3।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द वर्धन)
अपर सचिव।